ए.11018/17/2017–एम.एच.2/एन.सी.डी.–1
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनसीडी–1

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांकः 27 जूलाई, 2022

जन–सूचना

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी 14017/61/2008 स्था. (आार आर) के अनुपालन में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रवर श्रेणी लिपिक पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके साथ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जन–सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के अंदन अपने सुझाव अवर सचिव (एन.सी.डी–I.) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.110108 को लिखित रूप में या इस ई–मेल पते s.dharminder@nic.in पर भेज सकते है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011–2306 2666

[भारतकेराजपत्र,भाग-।।, खंड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारतसरकार

स्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालय

नईदिल्ली, तारीख: 2022

अधिसूचना

सा.का.नि. . . . -राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, बॉम्बे, (वर्ग ।।। और वर्ग ।Vपद) भर्ती नियम, 1968 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक के पद से है,उन बातों के सिवायअधिक्रांत करते हुए,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया हैया करने का लोप किया गया है,स्वास्थ्यऔरपरिवारकल्याणमंत्रालय,अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में प्रवर श्रेणी लिपिकके पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुम्बई,प्रवर श्रेणी लिपिक (समूह 'ग' पद)भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये राजपत्र में उनकेप्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण औरउससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि-**उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्यव्यक्ति से विवाह किया हैया विवाह की संविदा की है;

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह,ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके,इन नियमों केकिसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग केव्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों,भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद याअचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रवर श्रेणी लिपिक	09* (नौ) 2022 *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा,समूह'ग',अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 4	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीचआयु। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसारसरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।	अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्नपद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समितिहै, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष। सीधी भर्ती के सभी मामलों में कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के सफल समापन को परिवीक्षा पूरा करने के लिए एक पूर्वापेक्षा बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग से परामर्श करके निर्धारित किया जा सकता है । प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए 'शून्य'।	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 50 प्रतिशत कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। (5 पदो प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और 4 पदो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा)	प्रोन्नति: ऐसे अवर श्रेणी लिपिक (वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2) में से,जिन्होंने उस श्रेणी में 8वर्ष की नियमित सेवा की है। प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकारकेऐसे अधिकारी, (i)जो सदृश पद धारण किए हुए हों ; (ii)जिन्होंनेवेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जो स्तंभ (7) में विहित अर्हताएँ रखते हों।	विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर निदेशक-अध्यक्ष; (2)उप निदेशक (पुनर्वास)-सदस्य; (3) प्रोफेसर (पीएमआर) -सदस्य; (3) संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य । विभागीय पुष्टि समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी: (1) अपर निदेशक-अध्यक्ष; (2) उप निदेशक (पुनर्वास)-सदस्य; (3) प्रोफेसर (पीएमआर) -सदस्य; (3) संबंधित विभागाध्यक्ष - सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[ए.11018/17/2015-एमएच II]

(धमेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार